राधा किशुन

बनाम

भारत संघ और अन्य।

28 फरवरी 1997

[के. रामास्वामी और सुजाता वी. मनोहर, न्यायमूर्तिगण]

सेवा कानूनः

सेवा-निवृत्ति – कर्मचारी से गलत रूप से प्रदत्त राशि की वसूली – कर्मचारी अपनी सेवा-निवृत्ति की तिथि के बाद तीन वर्ष तक पद पर बना रहा – विभाग ने उस अवधि के दौरान उसे वेतन आदि के रूप में किए गए भुगतान की वसूली की कार्रवाई की – कर्मचारी ने इस आधार पर कार्रवाई को चुनौती दी कि उसने उस अवधि में कार्य किया था – न्यायाधिकरण ने दावा खारिज किया – अभिनिर्धारितः यद्यपि याचिकाकर्ता ने उस अवधि में कार्य किया, परंतु जब कानून के अनुसार उसे सेवा में बने रहने का अधिकार ही नहीं था, तो वह वेतन का दावा नहीं कर सकता – अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई में कोई अवैधता नहीं है।

कर्मचारी के सेवा-निवृत्ति आयु प्राप्त कर लेने पर समय पर सेवानिवृत्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम न उठाने में चूक — सरकार को निर्देश दिया गया कि याचिकाकर्ता की सेवा-निवृत्ति आयु प्राप्त होने पर उसकी सेवानिवृत्ति सुनिश्चित न करने में जिस भी व्यक्ति ने जानबूझकर अपने कर्तव्य में लापरवाही बरती है, उनके विरुद्ध उपयुक्त विभागीय कार्रवाई की जाए।

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार : 1997 की विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) सं. 3721.

कैंद्रीय प्रशासनिक न्यायधिकरण, पटना द्वारा 26.11.1996 को ओ.ए. सं. 652/1995 में पारित निर्णय और आदेश से।

याचिकाकर्ता के लिए एम. के. दुआ।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया :

यह एक आश्चर्यजनक और अधिक चौंकाने वाला मामला है। याचिकाकर्ता, जिसे निर्विवाद रूप से 31 मई 1991 को सेवानिवृत्त होना था, मानो उसे सेवा से सेवानिवृत्त होना ही न हो, 31 मई 1994 तक कार्यालय में बना रहा और सेवा के सभी लाभों का उपभोग करता रहा।

यह विशेष अनुमति याचिका केंद्रीय प्रशासनिक न्यायधिकरण, पटना पीठ के 26 नवंबर, 1996 के आदेश ओए सं. 652/95 से उत्पन्न हुई है। याचिकाकर्ता ने दूरसंचार विभाग में सेवा ग्रहण की थी। यह निर्विवाद है कि उसकी जन्मतिथि 13 मई, 1933 है। अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर उसे 31 मई, 1991 को सेवानिवृत्त होना था, किन्तु वह 31 मई, 1994 तक सेवा में बना रहा। जब उससे उस अवधि के लिए, जो 31 मई, 1991 के पश्चात् थी और जिसके लिए वह पात्र नहीं था, दिए गए वेतन की वसूली की कार्रवाई की गई, तब उसने न्यायाधिकरण में मूल आवेदन दायर किया, जिसे खारिज कर दिया गया। अतः यह विशेष अनुमति याचिका दायर की गई।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का प्रतिपादन है कि चूँकि याचिकाकर्ता ने उक्त अवधि में कार्य किया, अतः वह दिनांक 01.06.1991 से 26.06.1994 तक वेतन एवं भत्तों के भुगतान का अधिकारी है तथा वह अस्थायी पेंशन, मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति अनुदान, अवकाश नकदीकरण, पेंशन की संपरिवर्तन राशि, सामान्य भविष्य निधि की राशि तथा सीजीएचएस के अंतर्गत जमा राशि के भुगतान का भी अधिकारी है, इस आधार पर कि वह 31 मई, 1994 को सेवा से सेवानिवृत्त हुआ। यह देखकर आश्चर्य होता है कि इस प्रकार का दावा किया गया है कि वह उक्त तिथि से सभी लाभों का अधिकारी है, जबकि यह निर्विवाद है कि उसे 31 मई, 1991 को सेवानिवृत्त होना था। संबंधित अनुभाग के स्थापना विभाग के अधिकारी की ओर से यह पूर्णतः गैर-जिम्मेदारी का उदाहरण है कि उन्होंने याचिकाकर्ता को अधिवर्षिता प्राप्त करने पर सेवा से सेवानिवृत्त कराने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। यह सत्य है कि याचिकाकर्ता ने उस अवधि में कार्य किया, किन्तु जब विधि के अनुसार वह सेवा में बने रहने

का अधिकारी नहीं था, तब उसे वेतन आदि का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है। यह भी मामला नहीं है कि अधिवर्षिता प्राप्त करने के पश्चात् उसे लोकहित में पुनर्नियोजित किया गया था। इन परिस्थितियों में, प्राधिकारियों द्वारा लाभ प्रदान करने से इंकार करने की कार्रवाई में कोई अवैधता नहीं पाई जाती।

इसके बाद यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता कहीं और लाभकारी रोजगार आसानी से प्राप्त कर सकता था और काम करने के कारण उसे उस वैध वेतन से वंचित नहीं किया जा सकता, जिसका वह हकदार है। यद्यपि यह तर्क आकर्षक प्रतीत होता है, हम इस दावे को स्वीकार नहीं कर सकते और अधिकारियों द्वारा की गई अवैध कार्रवाई को वैधता नहीं दे सकते। यदि इस तर्क को मान लिया जाए, तो यह दुरुपयोग के लिए अवसर प्रदान करेगा और कोई भी व्यक्ति न्याय और गलत सहानुभूति के बहाने बच निकलने का प्रयास करेगा। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता और न ही किया जाना चाहिए।

उन परिस्थितियों में, हम याचिका खारिज करते हैं और भारत सरकार को निर्देश देते हैं कि याचिकाकर्ता की सेवा-निवृत्ति आयु प्राप्त होने पर उसकी सेवानिवृत्ति सुनिश्चित न करने में जानबूझकर अपने कर्तव्य में लापरवाही बरतने वाले सभी संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करें।

रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि यह आदेश भारत सरकार के दूरसंचार सचिव को प्रेषित किया जाए। सचिव को निर्देश दिया जाता है कि इस मामले में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करें और इस आदेश की प्राप्ति की तिथि से तीन महीने के भीतर इस न्यायालय के निबंधक को अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

आर. पी. याचिका खारिज कर दी गई।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।